



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02062023-246254
CG-DL-E-02062023-246254

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 367]
No. 367]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 2, 2023/ज्येष्ठ 12, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 2, 2023/JYAISHTHA 12, 1945

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग
(स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, 2023)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 2023

सं. यू 14021-8-2023-यूजीएमईबी.-जबकि सामान्य रूप से चिकित्सा शिक्षा और विशेष रूप से राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, धारा 24 की उप-धारा (1) और उक्त अधिनियम की धारा 57 की उपधारा (2) के उप खंड (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण), (त), (थ), (द), (ध) की तुलना में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 द्वारा प्रदत्त समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग निम्नलिखित विनियम बनाता है:

1. (i) ये विनियम "स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2023" या इसके संक्षिप्त रूप में "जीएमईआर-23" हैं।

(ii) ये सभी विनियम राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से विधिवत प्रकाशन के तुरंत बाद प्रवृत्त होंगे।

जबकि स्नातक चिकित्सा शिक्षा के फोकस को समुदाय द्वारा निम्नलिखित रूप में मान्यता दी गई है; स्नातक चिकित्सा विद्वान निम्नलिखित में सक्षम होंगे -

- अधिकतम संभव सीमा तक सभी के लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए प्राप्त ज्ञान और कौशल का प्रयोग करना।
- सामान्य बीमारियों के प्रोत्साहक, निवारक, उपचारात्मक और पुनर्वास पहलुओं को शामिल करते हुए चिकित्सा की समग्र प्रैक्टिस में दक्षता हासिल करना।

3. वैज्ञानिक सोच विकसित करना, पेशे में प्रवीणता के लिए शिक्षा का अनुभव प्राप्त करना और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना।
4. स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले सामाजिक-मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारकों को समझना और अपनी व्यावसायिक जिम्मेदारियों के निर्वहन करने में रोगियों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण विकसित करना।
5. निरंतर स्वयं सीखने के लिए आगे की विशेषज्ञता प्राप्त करने और चिकित्सा, अनुसंधान और दस्तावेजी कौशल के किसी भी चुने हुए क्षेत्र में अनुसंधान करने की अभिरुचि रखना।
6. स्वास्थ्य देखभाल प्रदायगी, सामान्य अस्पताल प्रबंधन, प्रमुख सूची कौशल और परामर्श से संबंधित मानव संसाधन, सामग्री और संसाधन प्रबंधन में बुनियादी प्रबंधन कौशल प्राप्त करना।
7. स्वास्थ्य परिचर्या समूहों में एक प्रमुख भागीदार के रूप में काम करने और संचार कौशल में दक्षता हासिल करने में सक्षम होना।
8. पेशेवर जीवन के लिए आवश्यक व्यक्तिगत विशेषताओं और अभिरुचि को विकसित करना जैसे कि व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा, जिम्मेदारी की भावना और निर्भरता और अन्य व्यक्तियों से या उनकी चिंताओं से संबद्ध होना।
9. पेशेवर नैतिकता के उच्चतम मानकों का पालन करते हुए और राष्ट्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सामाजिक और पेशेवर दायित्वों को पूरा करने की दिशा में काम करके एक अनुकरणीय नागरिक बनना।
10. चिकित्सा शिक्षा के विकास का उद्देश्य इसे अपेक्षाकृत अधिक शिक्षार्थी-केंद्रित (शैक्षणिक के बजाय), रोगी-केंद्रित, लैंगिक संवेदनशीलता, परिणाम-उन्मुख और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। इसके परिणामस्वरूप एक परिणाम-आधारित पाठ्यक्रम है जो वैश्विक रुझानों के अनुरूप हो। विषय-आधारित निर्देश और मूल्यांकन की क्षमता और आवश्यकता का सम्मान करते हुए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तरह के विषयों के संरेखण और एकीकरण पर जोर दिया जाता है। इससे व्यापक सक्षमता के उपयोग की अपेक्षा इंड ऑफ़ फ़ेज विषयक सक्षमता को अपनाने की आवश्यकता महसूस हुई है।
11. अभिरुचि, नैतिकता और संवाद (एईटीसीओएम) सक्षमता के आधार पर अनुदैर्ध्य कार्यक्रम के रूप में समर्पित पाठ्यक्रम समय प्रदान करके नैतिक मूल्यों की महत्ता, रोगी की जरूरतों के प्रति संवेदनशीलता और संवाद कौशल प्राप्त करने को रेखांकित किया गया है। इसमें सहयोगी और अंतर-विषयक टीमवर्क, व्यावसायिकता, परोपकारिता और विचार, सामाजिक और आर्थिक स्थिति और लिंग संबंधी अंतर के प्रति उचित संवेदनशीलता के साथ व्यावसायिक संबंधों में सम्मान पर जोर दिया गया है।

3. जबकि स्नातक चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान उच्चतर ज्ञान, उपयुक्त कौशल और आवश्यक त्रुटिहीन नैतिक मानकों के साथ प्रशिक्षित जनशक्ति तैयार करने के लिए राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ संस्थागत लक्ष्यों का तालमेल करने के लिए लगातार काम करेंगे।

अध्याय I – प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त शीर्षक** - ये विनियम "स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2023" या इसके संक्षिप्त रूप में "जीएमईआर - 23" हैं।

प्रारंभ - ये सभी विनियम राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से विधिवत प्रकाशन के तुरंत बाद प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएँ** - इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, यहाँ परिभाषित शब्दों का वही अर्थ होगा जो नीचे दिया गया है और उनके सजातीय पद और भिन्नताओं का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा -

क "अधिनियम" से राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 [2019 की अधिनियम संख्या 30] अभिप्रेत होगा।

ख यूजीएमईबी से अधिनियम की धारा 16 के तहत विधिवत गठित स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड अभिप्रेत होगा।

ग "आयोग" से अधिनियम की धारा 3 के तहत विधिवत स्थापित राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अभिप्रेत होगा।

घ "चिकित्सा संस्थान" से वह 'चिकित्सा संस्थान' अभिप्रेत होगा जिसे राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 2 (i) में परिभाषित किया गया है; और इसके सामान्य रूप से समझे जाने वाले रूप में 'मेडिकल कॉलेज' भी शामिल होगा।

ड- "एनईईटी-यूजी" से राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 14 में 'राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा' अभिप्रेत होगा।

च- "विश्वविद्यालय" से राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 2 की उप-धारा (च) और (भ) में यथा परिभाषित विश्वविद्यालय अभिप्रेत होगा।

अध्याय II - सामान्य विचार

4. सभी संबंधित चिकित्सा संस्थानों / मानद विश्वविद्यालयों का यह कर्तव्य होगा कि वे निम्नलिखित हेतु राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के साथ भागीदारी करें -

क. छात्र को सक्षम मेडिसिन और सर्जरी स्नातक बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती स्नातक चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए समुचित पाठ्यक्रम लागू करना।

ख- योग्यता-आधारित चिकित्सा शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सैद्धांतिक ज्ञान के साथ नैदानिक और व्यावहारिक कौशल में प्रशिक्षण प्रदान करने, अभिरुचि, नैतिकता और संवाद कौशल पर जोर देना।

ग. छात्रों को स्व-निर्देशित शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना, जो भारत में स्वास्थ्य परिचर्या की स्वदेशी प्रणालियों के ज्ञान सहित मानव स्वास्थ्य का पर्याप्त बुनियादी ज्ञान प्रदान करेंगे; छात्रों के बीच सद्भाव, और शांति विकसित करने, तनाव को दूर करने और अवसाद को कम करने के लिए उनके प्रशिक्षण के दौरान योग और आध्यात्मिक पहलुओं को कार्यान्वित किया जाता है।

घ. छात्रों को विषयों और अपनी पसंद के क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण लेने के लिए प्रोत्साहित करें, जो उनकी तार्किक और वैज्ञानिक सोच, और सामुदायिक स्तर और व्यक्तिगत स्तरों पर समस्या-समाधान को प्रोत्साहित करेगा।

ड. छात्रों को प्रशिक्षण और पेशे में उच्चतम नैतिक मानकों को प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करना।

च. उच्चतम वैश्विक मानकों को पूरा करने के लिए देश भर में चिकित्सा संस्थाओं द्वारा प्रदान की जा रही चिकित्सा शिक्षा का आवधिक और पारदर्शी मूल्यांकन प्रदान करना।

छ. सभी स्तरों पर आपात स्थिति और आपदाओं से निपटने के लिए छात्रों में आत्मविश्वास पैदा करना।

5. उपर्युक्त के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, संबंधित विश्वविद्यालय और उनके अधीन चिकित्सा संस्थान, यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य के उचित रिकॉर्ड रखें जाए ताकि वे छात्रों के उद्देश्यपूर्ण, कुशल और पारदर्शी आंतरिक मूल्यांकन का आधार बन सकें। बशर्ते कि, इन अनुरक्षित और अच्छी तरह से वर्गीकृत दस्तावेजों को विशेष रूप से संबंधित विश्वविद्यालय या एनएमसी द्वारा मेडिकल कॉलेज के मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए हर समय परामर्श के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

6. संबंधित विश्वविद्यालय और उनके अधीन चिकित्सा संस्थानों का यह सतत प्रयास रहेगा कि छात्रों को शिक्षित करते हुए छात्रों, संकाय और चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी के इष्टतम उपयोग के लिए लगातार रणनीतियों को विकसित किया जाए।

अध्याय III - प्रवेश, परामर्श, प्रवास आदि।

7- नीट-यूजी का संचालन - राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नीट-यूजी आयोजित कर सकता है अथवा नीट-यूजी आयोजित करने के लिए ऐसी किसी भी एजेंसी या प्राधिकरण जो भी इसका नाम हो, नामित कर सकता है।

बशर्ते राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नीट-यूजी आयोजित करने के लिए कई एजेंसियों या प्राधिकरणों को नामित कर सकता है, यदि इस तरह की तैनाती समग्र उद्देश्य के अनुरूप हो।

8. अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड अधिसूचना के माध्यम से नीट-यूजी आयोजित करने की भाषा, तरीके और तौर-तरीकों आदि का निर्धारण करेगा।

बशर्ते कि, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड नीट-यूजी के संचालन के संबंध में अपनी नीतियों को बदलने का निर्णय लेने पर उचित समय सीमा के साथ सूचित करेगा ताकि इच्छुक छात्रों को नुकसान न हो।

9. पात्रता मानदंड - कोई भी छात्र नीट-यूजी परीक्षा में न्यूनतम पात्र अंक प्राप्त करने के अलावा, भारत में या कहीं और स्नातक चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा (यदि वे भारत में लौटना और प्रैक्टिस करना चाहते हैं)।

बशर्ते स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड अधिसूचना द्वारा समय-समय पर पात्र छात्रों की सूची की घोषणा करेगा।

10. नीट-यूजी में समान अंकों का विभाजन— नीट-यूजी के लिए उपस्थित होने वाले छात्रों के समान अंकों के मामले में, नीट यूजी में भौतिकी के बाद रसायन विज्ञान और उसके बाद जीव विज्ञान में प्राप्त संबंधित अंकों पर विचार किया जाएगा।

बशर्ते यदि अंक बराबर रखे जाने हैं तो किसी मानव हस्तक्षेप के बिना कम्प्यूटर से लाट्स का ड्रा निकालकर पात्र उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

11. नीट-यूजी करने हेतु पात्रता मानदंड आकांक्षी को नीट-यूजी करने की अनुमति देने हेतु पात्रता मानदंड।

क. जब तक कि नीट-यूजी परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थी ने उस वर्ष 31 जनवरी को या उससे पहले 17 वर्ष की आयु पूरी न कर ली हो; और

ख. उसने भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी और अंग्रेजी विषयों के साथ 10+2 (अथवा इसके समकक्ष) उत्तीर्ण कर लिया हो।

12. कॉमन काउंसिलिंग— वर्तमान विनियमों अथवा एनएमसी विनियमों में दी गई किसी भी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना नीट-यूजी की मेरिट सूची के आधार पर भारत में सभी चिकित्सा संस्थाओं में मेडिसिन में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए कॉमन काउंसिलिंग होगी।

13. यह परामर्श पूर्णरूप से राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए सीट मैट्रिक्स पर आधारित होगा;

बशर्ते कॉमन काउंसिलिंग के आवश्यकतानुसार अनेक दौर हो सकते हैं

14. कॉमन काउंसिलिंग का आयोजन— कॉमन काउंसिलिंग का आयोजन करने के लिए अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड दिशानिर्देश प्रकाशित करेगा और निम्नलिखित धारा 17 के अंतर्गत नामित प्राधिकरण इस प्रकार प्रकाशित दिशा निर्देशों के अनुरूप कॉमन काउंसिलिंग का आयोजन करेगा।

15. सरकार कॉमन काउंसिलिंग के लिए किसी नामित प्राधिकरण को नियुक्त करेगी—भारत सरकार प्राधिकरण के बारे में निर्णय करेगी और सभी अन्तरस्नातक सीटों के लिए काउंसिलिंग के तरीकों को अधिसूचित करेगी।

16. काउंसिलिंग के अलावा किसी अन्य तरीके से प्रवेश लेने पर प्रतिषेध—

कोई भी चिकित्सा संस्थान इन विनियमों के उल्लंघन में किसी भी उम्मीदवार को स्नातक चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं देगा।

बशर्ते कि इन विनियमों के उल्लंघन में किसी छात्र को प्रवेश देने वाले चिकित्सा संस्थान को पहली बार प्रति सीट एक करोड़ रुपए या पूरे पाठ्यक्रम के दौरान लिए जाने वाले शुल्क, जो भी अधिक हो, जुर्माने के रूप में भरना होगा और दूसरी बार अनुपालन नहीं करने पर प्रति सीट दो करोड़ रुपए या पूरे पाठ्यक्रम के दौरान लिए जाने वाले शुल्क की दोगुनी राशि, जो भी अधिक हो, जुर्माने के तौर पर भरना होगा और उसके बाद अनुपालन नहीं किए जाने या बार-बार उल्लंघन करने वाले चिकित्सा संस्थान को अगले शैक्षणिक वर्ष से किसी भी छात्र को प्रवेश देने से वंचित कर दिया जाएगा;

आगे यह भी उपबंधित किया गया है कि इस अधिदेश के उल्लंघन में प्रवेश पाने वाले छात्र को मेडिकल कॉलेज से निकाल दिया जाएगा और एक या अधिक वर्षों के लिए ऐसी सीटों की दोगुनी संख्या में सीटे घटा दी जाएंगी।

17. अंतिम सूची प्रस्तुत करना— संबंधित नामित प्राधिकारी (जिन्होंने कॉमन काउंसिलिंग आयोजित की है) सामान्य काउंसिलिंग के पूरा होने के एक सप्ताह के भीतर निर्धारित प्रारूप में छात्रों की अंतिम सूची स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड को प्रस्तुत करेंगे, जो एनएमसी वेबसाइट पर उस सूची को प्रकाशित अपलोड कराएगा।

बशर्ते प्रत्येक संस्थान एमएसआर में विस्तृत निर्धारित प्रपत्र छात्रों की अंतिम सूची यूजीएमईबी द्वारा घोषित पाठ्यक्रम शुरू होने की अंतिम तिथि से एक सप्ताह पहले यूजीएमईबी को प्रस्तुत करेगा।

बशर्ते केवल वही चिकित्सा संस्थान जिन्हें छात्रों को कॉमन काउंसिलिंग की अधिसूचना की तिथि से पूर्व प्रवेश देने की अनुमति दी गई थी, छात्रों को प्रवेश लेने की अनुमति देंगे और चिकित्सा संस्थान जिन्हें कॉमन काउंसिलिंग की अधिसूचना की तिथि के बाद आवश्यक अनुमति मिली हो, को अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों को प्रवेश देने हेतु कॉमन काउंसिलिंग में भाग लेना होगा।

स्पष्टीकरण: पहले से स्थापित चिकित्सा संस्थानों की सीटों की संख्या में वृद्धि के लिए भी अपेक्षित अनुमति यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होगी।

18. छात्र प्रवासन— इन विनियमों में कुछ भी बताए जाने के बावजूद, किसी चिकित्सा संस्थान के लिए नामित कोई भी छात्र किसी अन्य चिकित्सा संस्थान में प्रवास की मांग नहीं करेगा।

अध्याय iv—चिकित्सा शिक्षा के लिए अपेक्षाओं के न्यूनतम मानक(एमएसआर)

19. चिकित्सा संस्थान समय—समय पर एनएमसी के यूजीएमईबी द्वारा स्नातक चिकित्सा शिक्षा के लिए निर्धारित आवश्यकताओं के न्यूनतम मानकों (एमएसआर) संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे।

अध्याय v: स्नातक स्तर पर योग्यता आधारित गतिशिल पाठ्यक्रम

20. पाठ्यक्रम— स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड समय—समय पर एनएमसी की वेबसाइट पर मॉडल पाठ्यक्रम और उसके परिणामी उद्देश्यों को प्रकाशित करेगा, जो संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा सार्थक शिक्षा प्रदान करने के लिए उपयुक्त कार्यप्रणाली के साथ विस्तृत चिकित्सा पाठ्यक्रम के विकास के लिए आधार तैयार करेगा।

अपेक्षाओं का विवरण निर्धारित मानकों के अनुरूप होगा। ये मानक बदलते स्वास्थ्य परिदृश्य के साथ समय—समय पर संशोधन के विषयाधीन है।

21. प्रशिक्षण काल और अधिकतम अवधि— इन विनियमों के अनुसार प्रवेश लेने वाले प्रत्येक छात्र, एनएमसी के यूजीएमईबी के द्वारा प्रकाशित और समय—समय पर एनएमसी वेबसाइट पर प्रदर्शित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त करेगा।

बशर्ते किसी भी में परिस्थिति में छात्र को प्रथम वर्ष (प्रथम व्यवसायिक एमबीबीएस) के लिए चार से अधिक प्रयासों की अनुमति नहीं दी जाएगी और किसी भी छात्र को पाठ्यक्रम में प्रवेश की तारीख से नौ(09) वर्षों के बाद स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

22. विकल्प—आधारित क्रेडिट पाठ्यक्रम – चिकित्सा संस्थानों द्वारा पढ़ाए जाने वाले एनएमसी पाठ्यक्रम और उनके संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अलावा चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम को बाधित किए बिना सीमित अवधि के विभिन्न प्रकार के विकल्प— आधारित क्रेडिट पाठ्यक्रम भी होंगे।

बशर्ते इन विकल्प—आधारित क्रेडिट पाठ्यक्रमों के सार्थक शिक्षण को एनएमसी के चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड द्वारा चिकित्सा संस्थानों की मान्यता और रेटिंग के दौरान उचित महत्व दिया जाएगा।

23. इंटरनशिप – स्नातक चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम में प्रवेशप्राप्त छात्र की तब तक स्नातक स्तर की पढ़ाई पूरी नहीं होगी जब तक कि वह अनिवार्य रोटेटिंग मेडिकल इंटरनशिप विनियम, 2021 के अनुसार अपनी रोटेटिंग मेडिकल इंटरनशिप पूरी नहीं कर लेता है।

अध्याय VI - संकाय विकास कार्यक्रम

24. नए पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण के लिए शिक्षण संकाय द्वारा छात्रों को पढ़ाने में समूह गतिशीलता, टीम निर्माण अभ्यास और छोटे समूह में शिक्षण की अवधारणाओं को समझने और लागू करने, छात्रों को स्व-निर्देशित शिक्षण के लिए प्रोत्साहित करने और प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या स्तर पर टीम लीडर बनने हेतु कौशल वृद्धि अपेक्षित है। ये प्रशिक्षण कौशल समय-समय पर अधिसूचित किए जाने वाले दिशा-निर्देशों में वर्णित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे।

अध्याय VII-छात्र कल्याण

25. शिक्षण के अच्छे माहौल के लिए छात्र-कल्याण सबसे अधिक आवश्यक है। रैगिंग से जुड़ी समस्याएं छात्रों के कल्याण में बाधक होती हैं। इसलिए, छात्रों से आशा की जाती है कि वे मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों में रैगिंग की रोकथाम और प्रतिषेध विनियम, 2021 का पालन करें।

बशर्ते कि मेडिकल कॉलेज/संस्थान में छात्रों के कल्याण को प्रभावी बनाने के लिए यहां एक निर्वाचित छात्र-संघ हो तथा मेडिकल कॉलेज/संस्थान द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया में छात्रों का प्रतिनिधित्व हो।

डॉ. पुलकेश कुमार, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./148/2023-24]

टिप्पणी : ये विनियम अंग्रेजी और हिन्दी में प्रकाशित किए जा रहे हैं, इन विनियमों की व्याख्या के मामले में कोई शंका होने की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

NATIONAL MEDICAL COMMISSION
(Under Graduate Medical Education Board, 2023)

NOTIFICATION

New Delhi the 2nd June, 2023

No U-14021-8-2023-UGMEB.—In exercise of overall powers conferred by the National Medical Commission Act, 2019 *vis-à-vis* medical education in general and specifically by sub-section (1) of section 24; and sub-section (h), (i), (j), (k), (o), (p), (q), (r), (s) of sub-section (2) of section 57 of the said Act, the National Medical Commission makes the following Regulations –

1. (i). These Regulations may be called the “Graduate Medical Education Regulations, 2023” or “GMER-23” in its abbreviated form.

(ii). These Regulations shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

2. **WHEREAS** the focus of undergraduate medical education is recognized by the fraternity as; the Graduating medical scholar shall be able to –

- 1) Apply the gained knowledge and skill to ensure health for all to the maximum extent possible.
- 2) Achieve competence in the holistic practice of medicine encompassing promotive, preventive, curative and rehabilitative aspects of common diseases.
- 3) Develop a scientific temper, acquire education experience for proficiency in the profession and promote healthy living.
- 4) Appreciate the socio-psychological, cultural, economic, and environmental factors affecting health and develop a humane attitude towards the patients in discharging one’s professional responsibilities.
- 5) Possess the attitude for continued self-learning to seek further expertise and to pursue research in any chosen area of medicine, research, and documental skills.
- 6) Acquire basic management skills in human resources, materials and resource management related to health care delivery, general hospital management, principal inventory skills and counselling.
- 7) Able to work as a leading partner in healthcare teams and acquire proficiency in communication skills.
- 8) Develop personal characteristics and attitudes required for professional life such as personal integrity, sense of responsibility and dependability and ability to relate to or show concern for other individuals.
- 9) Become an exemplary citizen by observing the highest standards of professional ethics and working towards fulfilling social and professional obligations to respond to national aspirations.
- 10) Evolution of medical education is aimed at making it more learner-centric (rather than pedagogic), patient-centric, gender-sensitive, outcome -oriented and environment appropriate. The result is an outcome-driven curriculum which conforms to global trends. Emphasis is made on the alignment and integration of subjects both horizontally and vertically while respecting the strengths and necessity of subject-based instruction and assessment. This has necessitated a deviation from using “broad competencies” to end-of-phase subject (sub) competencies.
- 11) The importance of ethical values, responsiveness to the needs of the patient and acquisition of communication skills is underscored by providing dedicated curriculum time in the form of a longitudinal program based on Attitude, Ethics and Communication (AETCOM) competencies. Emphasis has been placed on collaborative and inter-disciplinary team work, professionalism, altruism and respect in professional relationships with due sensitivity to differences in thought, social and economic position and gender.

3. **WHEREAS** the Institutions imparting graduate medical education shall continually work to synchronize the institutional goals with the national goals to produce the kind of trained manpower with higher knowledge, appropriate skills and impeccable ethical standards required.

CHAPTER I – PRELIMINARY

1. **Short title**—These Regulations may be called the “Graduate Medical Education Regulations, 2023” or “GMER-23” in its abbreviated form.

Commencement – These Regulations shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

2. **Definitions** – In these Regulations, unless the context otherwise requires the terms defined herein shall bear the meaning assigned to them below and their cognate expressions and variations shall be construed accordingly –

a. **“Act”** shall mean National Medical Commission Act, 2019 [Act No. 30 of 2019].

- b. “UGMEB” shall mean Undergraduate Medical Education Board, duly constituted under Section 16 of the Act.
- c. “Commission” shall mean the National Medical Commission duly established under Section 3 of the Act.
- d. “Medical Institution” shall mean ‘Medical Institution’ as defined in Section 2(i) of the National Medical Commission Act, 2019; and shall also include a ‘medical college’ in its commonly understood form.
- e. “NEET-UG” shall mean ‘National Eligibility-cum-Entrance Test’ in Section 14 of the National Medical Commission Act, 2019
- f. “University” shall mean the University as defined under sub-section (f) and (x) of Section 2 of the National Medical Commission Act, 2019.

CHAPTER II – GENERAL CONSIDERATIONS

3. It shall be the duty of all concerned medical institutions/ Deemed to be Universities to partner with the National Medical Commission to –

- a. Implement an appropriate curriculum to provide high-quality and affordable undergraduate medical education to the student to make him a complete Bachelor of Medicine and Surgery, and a competent Physician of the first contact.
- b. To provide training in clinical and practical skills along with theoretical knowledge, an emphasis upon attitude, ethics, and communication skills to ensure imparting competency-based medical education.
- c. Encourage students towards self-directed learning, which will impart an adequate basic knowledge of human health, including the knowledge from indigenous systems of healthcare in India; Yoga and healthy living aspects are introduced during their training to develop harmony, and peace, relieve stress and alleviate depression amongst students.
- d. Encourage students to take up skill training in the subjects and areas of their choice, which shall stimulate their logical and scientific thinking, and problem-solving at the community level and individual levels.
- e. Encourage the students to achieve and maintain the highest ethical standards in training and profession.
- f. Provide periodic and transparent assessment of medical education being imparted by Medical Institutions across the nation to meet with highest global standards.
- g. Inspire confidence in the students to handle emergencies and calamities at all levels.
4. Without prejudice to the above, the concerned medical institutions/ Deemed to be Universities shall ensure that proper records of the work shall be maintained so that they form the basis of objective, efficient and transparent internal assessment of students;

Provided further that, these maintained and well-classified documents shall be made available for consultation at all times, particularly for the purposes of assessment of the Medical College either by the concerned University or NMC.

6. The concerned University shall encourage the Medical Colleges to offer optimal number and variety of choice-based credit courses which shall traction the medical education in producing the outcomes of a medical graduate, as identified by these Regulations.

CHAPTER III – ADMISSION, COUNSELLING, MIGRATION ETC.

7. Conduct of NEET-UG – Either the National Medical Commission may conduct the NEET-UG or may designate any such agency or authority by whatever name called, to cause the NEET-UG to be conducted;

Provided National Medical Commission may designate multiple agencies or authorities, to conduct NEET-UG if such deployment suits the overall purpose.

8. The UGMEB shall determine the language, manner and modalities etc., of conducting the NEET-UG by way of Notification;

Provided that, the UGMEB shall notify with reasonable lead time when it decides to change its policies with regard to the conduct of NEET-UG so that aspiring students are not put to detriment.

9. Eligibility criteria –No student shall be eligible to pursue graduate medical education either in India or elsewhere (if they want to return and practice in India), except by scoring the minimum eligible score at the NEET-UG exam;

Provided the UGMEB shall by notification announce the list of eligible students from time to time.

10. Break of tie-in marks at NEET-UG— In case of tie-in marks of the students appearing for NEET-UG, the respective marks obtained in Physics followed by Chemistry and further followed by Biology in the NEET-UG shall be considered;

Provided if the tie were to continue, then draw of lots by using the computer, with no human intervention, the eligible candidates shall be selected.

11. Eligibility criteria for taking NEET-UG—No aspirant shall be allowed to take NEET-UG
- unless he has completed the age of 17 years as on or before 31st January of the year that the candidate shall be appearing for NEET-UG examination; and
 - Has passed 10 +2 (or equivalent) with subjects of Physics, Chemistry Biology/ Biotechnology and English.
12. Common counselling – Without prejudice to anything stated in the present Regulations or other NMC Regulations, there shall be common counselling for admission to graduate courses in medicine for all Medical Institutions in India based on the merit list of the NEET-UG.
13. Counselling shall entirely be based on the seat matrix provided by National Medical Commission; Provided the common counseling may have multiple rounds as may be necessary.
14. Conduct of common counselling – the UGMEB shall publish guidelines for the conduct of common counselling, and the designated authority under section 17 below shall conduct the common counselling in conformity with such published guidelines.
15. Government to appoint a designated authority for common counselling – The Government of India will decide and notify the agency and method of counseling of all undergraduate seats.
16. The prohibition for any student seeking admission any other way than counselling – No medical institute shall admit any candidate to the Graduate Medical Education course in contravention of these regulations;

Provided the Medical Institution granting admission to any student in contravention of these Regulations, shall be liable to be fined Rupees one crore or fee for the entire course duration, whichever is higher, per seat for the first time and for the second time of non-compliance, Rupees two crore or double the amount of fees for the entire course duration whichever is higher per seat, and for any subsequent non-compliance or continued contravention the Medical Institution shall be barred from granting admissions to any student from the next academic year;

Provided further that such Student admitted in contravention of this mandate shall be discharged from the Medical College and double the number of seats shall be reduced for one or more years.

17. Submission of the final list – The respective designated authorities (who have conducted the common counselling) shall submit the final list of students in the prescribed proforma to the UGMEB within one (01) week of the completion of the common counselling, which in turn shall publish that list in the NMC website.

Provided each institution shall also submit the final list of students admitted, in the prescribed proforma as detailed in the MSR, to the UGMEB within one week of the last date of the joining course, declared by the UGMEB;

Provided only those Medical Institutions that were permitted to admit the students prior to the date of Notification of common counselling are allowed to admit students, and the Medical Institutions getting requisite permission later to the date of Notification of common counselling shall participate in the next academic year's common counselling to admit students.

Explanation: requisite permission shall also apply *mutatis mutandis* for the increase of seat strength in medical institutions already established.

18. Student migration -No student designated to a Medical Institution, notwithstanding anything stating in these regulations, shall seek migration to any other Medical Institution.

CHAPTER IV –MINIMUM STANDARDS OF REQUIREMENTS (MSR) FOR MEDICAL EDUCATION

19. Medical Institutions shall follow the guidelines for minimum standards of requirements (MSR) for undergraduate medical education prescribed by the UGMEB of NMC from time to time.

CHAPTER V: COMPETENCY BASED DYNAMIC CURRICULUM AT UNDERGRADUATE LEVEL

20. Curriculum – the UGMEB shall publish the model curriculum and the outcome objectives of the same from time to time on the NMC website, which shall form the base for the development of a detailed medical curriculum by the concerned Universities, along with the appropriate methodology to impart meaningful education.

The details of the requirements shall conform to the prescribed standards. These standards are subject to modification from time to time with the changing healthcare scenario.

21. Training period and maximum duration— Every student admitted in accordance with these Regulations, shall undergo training as per the guidelines published by the UGMEB of NMC and displayed on the NMC website from time to time;

Provided under no circumstances the student shall be allowed more than four (04) attempts for first year (First Professional MBBS) and no student shall be allowed to continue undergraduate medical course after nine (09) years from the date of admission into the course.

22. Choice-based credit courses – There shall be a variety of choice-based credit courses of limited duration offered by the Medical Institutions in addition to the NMC curriculum and the curriculum prescribed by their respective University to their graduating students without hampering the medical graduate curriculum;

Provided the meaningful imparting of these choice-based credit courses shall be given due weightage, while accreditation and rating of the Medical Institutions by the Medical Assessment and Rating Board of NMC.

23. Internship – The student admitted into a Graduate Medical Education Programme shall not be deemed to have completed his graduation until he completes his rotating medical internship as per Compulsory Rotating Medical Internship Regulations, 2021.

CHAPTER VI – FACULTY DEVELOPMENT PROGRAM

24. The new curriculum training requires the teaching faculty to understand and apply the concepts of group dynamics in teaching students, team building exercises, and small group teachings, encourage the students towards self-directed learning and enhance their skills to become team leaders at the primary health care level. These training skills shall be imparted through various programmes as described in the guidelines to be notified from time to time.

CHAPTER VII – STUDENT WELFARE

25. The student welfare is central to good learning atmosphere. The issues related to ragging disrupt student's well-being. Hence, students are expected to abide by Prevention and Prohibition of Ragging in Medical Colleges and Institutions Regulations, 2021;

Provided that there shall be an elected student association and representation of students in decision making by the Medical College/ Institution affecting student welfare.

Dr. PULKESH KUMAR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./148/2023-24]

Note : These Regulations are being published in English and Hindi, the English version shall prevail in case of any doubt about the interpretation of these Regulations.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19062023-246659
CG-DL-E-19062023-246659

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 421]
No. 421]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 19, 2023/ज्येष्ठ 29, 1945
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 19, 2023/JYAISHTHA 29, 1945

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग
(स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड के अधीन)
शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 16 जून, 2023

एफ.सं.यू.14021-8-2023-यूजीएमईबी.—भारत के राजपत्र के भाग III, खंड 4 (असाधारण) में प्रकाशित राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग संख्या सीजी-डीएल-ई-02062023-246254 दिनांक 2 जून, 2023 के स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियम, 2023 में निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा:

अध्याय III, खंड 11 (क)में "प्रवेश, परामर्श, प्रवास इत्यादि" शीर्षक के अधीननिम्न रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

"(क) जब तक कि उम्मीदवार एनईईटी-यूजी परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले वर्ष के 31 दिसंबर को या उससे पहले 17 वर्ष की आयु न पूरी कर ली हो; और"

डॉ. पुलकेश कुमार, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./202/2023-24]

NATIONAL MEDICAL COMMISSION
(Under Graduate Medical Education Board)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 16th June, 2023

F. NO.U.14021-8-2023-UGMEB.—In the **Graduate Medical Education Regulations, 2023** of National Medical Commission No. CG-DL-E-02062023-246254 dated 2nd June 2023, published in Part III, Section 4 (Extraordinary) of the Gazette of India, following modification shall be made :

In Chapter III, Clause 11(a) under the heading "**ADMISSION, COUNSELLING, MIGRATION ETC.**", shall be substituted as under :-

"(a) unless he has completed the age of 17 years as on or before 31st December of the year that the candidate shall be appearing for NEET-UG examination; and"

Dr. PULKESH KUMAR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./202/2023-24]